



C.C.B. 7.50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

ग्रामीण निगरानी

/तीन-96

R104-III/96

- 1- राजकीयान
- 2- दिनेश प्रसाद
- 3- राक़ी
- 4- इन्द्रमान
- 5- कृष्णपाल

पुत्रगज रागसुधेर, ब्राह्मण

तमस्त निवासी ग्राम म्हुडर थाना व तहसील अरघाटन, जिला सतना, मध्य प्रदेश

22/10/96 - III

सुभाष शर्मा

29.10.96

मो. 21/10/96

(1) शिवानंद निधारी उ. नं. 397/91 निधारी निवासी म्हुडर थाना तहसील अरघाटन, जिला सतना, मध्य प्रदेश

(2) श्यामवर्मा पुत्री चंडवर्मा निवासी पुत्री सुवर्णराम शर्मा व पत्नी पति श्यामवर्मा उ. नं. 397/91 निवासी म्हुडर थाना तहसील अरघाटन, जिला सतना, मध्य प्रदेश

(3) श्यामवर्मा निधारी उ. नं. 397/91 निवासी पुत्री सुवर्णराम शर्मा व पत्नी पति श्यामवर्मा उ. नं. 397/91 निवासी म्हुडर थाना तहसील अरघाटन, जिला सतना, मध्य प्रदेश

21/10/96

20/10/96

निगरानी धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता न्यायालय आर आशुक्त, सीवा विभाग, सीआ अधारा अधी प्रकरण क्रमांक 417/92-93 में वास्तव आवेदन दिनांक 26-9-96 से असम्बुद्ध होकर ।

मानवर,

आवेदकगण द्वारा विनय है कि आवेदकों ने सन 1959 में सर्वोच्च भूमि क्रम की और तभी से उनका आधिकार्य विवाहित भूमि पर चल आ रहा है । उक्त क्रम की मुद्रित 1959 में एक दस्तावेज अनावेदक ने आवेदकगण के पिता के पत्र में लिखा । जिसके आधार पर वे भूमिस्वामी एवं आधिकार्यधारी विगत 45 वर्षों से चले आ रहे हैं ।

को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते तथा इत्ते लम्बे अन्तराल तक नामान्तरण न कराना यह सिद्ध करता है कि अधिकारिकी पूर्णतः अतीतार्थियों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 104-711/96 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षद्वारा एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>3/8/16</u></p>	<p>शादी के सम्बन्ध में श्री. के. के. शिवेश्वरी- उपरिचर/श. ना. सम्बन्ध में श्री. प्रदीप शर्मा/श. ना. श. ना.</p> <p>1. 3 मई 1959 में कथित कि 1959 में 150 रुपये में अर्पित प्रस्ताव पत्र - कृषि शक्ति आदि का नाम 2201 नं. 60 ने 1991 में आदि 20 दिनांक में।</p> <p>2 - शादी के परिणाम कि। 100/- के अधिक शुल्क के विषय पत्र का प्रेषण आवश्यक कि। विषय पत्र की कि। 100/- से अधिक है। इस कि। 201 अर्पित में विषय पत्र के आधार पर शादी के के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार शादी के अनुवृत्ति कि। आदि 20 अर्पित आदि 20 इस कि। 201 की आवश्यकता नहीं है। आदि 20 प्रस्ताव कि। 201 पर कि। 201 आदि है।</p>	<p>3-8-16</p>

M

201